

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 64
TO BE ANSWERED ON 08/12/2023

INCENTIVE FOR ELECTRIC TRACTORS

*64. Shri Harbhajhan Singh:

Will the Minister of AGRICULTURE & FARMERS WELFARE be pleased to state:

- (a) Whether the Government is providing or considering to provide any incentive to farmers for purchase of electric tractors;
- (b) If so, the details thereof ;
- (c) Steps taken, if any during the last three years, to reduce input cost and to increase market value of agricultural produce in India, particularly in Punjab; and
- (d) the details thereof in this regard?

ANSWER

MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(SHRI NARENDRA SINGH TOMAR)

- (a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 64 DUE FOR REPLY ON 08/12/2023 REGARDING
INCETIVE FOR ELECTRIC TRACTORS**

(a) & (b): Under Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) scheme, Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA&FW) provides financial assistance for purchase of agricultural machines and equipments including tractors to the farmers on individual ownership basis and for establishment of Custom Hiring Centre (CHC)/High Tech Hub/Farm Machinery Bank (FMB). The pattern of financial assistance under the scheme is given below:

Sr. No.	Component	Financial Assistance	Eligible Beneficiaries
1	Financial assistance for purchase of agricultural machines and equipments including tractors	50% of the cost of machine/equipment with applicable ceiling limits for Small and Marginal Farmers, Scheduled Caste/Scheduled Tribe farmers, women farmers and farmers of the North Eastern States. 40% of the cost of machine/equipment for other farmers	Individual farmer
2.	Financial assistance for purchase of agricultural machines and equipments by the farmers of North Eastern Region	100% of the cost of machine for the machines costing up to Rs. 1.25 lakhs	Individual farmer of the North Eastern States
3.	Establishment of Custom Hiring Centres (CHCs) and Hi-tech Hubs.	40% of the project cost. The project cost of CHCs can be up to Rs. 60 lakhs per project and that of Hi-tech hubs can be up to Rs. 250 lakhs per project.	Rural Entrepreneurs (Rural youth and farmer as an entrepreneur), Cooperative Societies of farmers, Farmer Producer Organizations (FPOs), Self Help Groups (SHGs) and Panchayats
4.	Establishment of Farm Machinery Banks in identified villages of low mechanized States	80% of the project cost for the projects up to Rs. 10 lakhs in normal States and 95% of the project cost for the projects up to Rs. 10 lakhs for North Eastern States.	Cooperative Societies, FPOs, SHGs and Panchayats

As far as electric tractors are concerned, they are under the process of development and validation by the manufacturers.

(c) & (d): The cost of production varies from State to State on the account of difference in the yield of crops and owing to the levels of irrigation, resource endowment, farm mechanization, land holding size etc. The DA&FW is implementing various schemes to reduce input costs to the farmers and for effective utilization of resources. The details of various input support schemes and interventions thereunder in the State of Punjab is given in Annexure –I.

With a view to ensure return over the cost, Government has adopted the pre-determined principle to keep Minimum Support Price (MSP) at level of one and half times of the cost of production. Accordingly, MSP for all mandated Kharif and Rabi crops and other commercial crops have been increased with a return of at least 50 percent over the all-India weighted average cost of production. MSP for Paddy (common) has increased to Rs. 2183 per quintal in 2023-24 from Rs. 1310 per quintal in 2013-14 and MSP for Wheat increased from Rs. 1400 per quintal in 2013-14 to Rs. 2125 per quintal in 2022-23. Most of the paddy (common) and wheat produced in the State of Punjab is procured on MSP. National Agriculture Market Scheme (e-NAM) ensure better price discovery, bring in transparency and competition to enable farmers to get improved remuneration for their produce. Procurement of oilseeds, pulses, cotton are undertaken by central agencies at MSP under Price Support Scheme (PSS) at the request of the concerned State Governments. Warehousing and post-harvest loans at concessional rates of interest is provided so as to discourage distress sale by farmers. Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) provides financial assistance for various horticulture activities including setting up of cold storages. Ministry of Food Processing Industries (MOFPI) is implementing a Scheme for Integrated Cold Chain, Value Addition and Preservation Infrastructure as one of the component of Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana with the objective of reducing post-harvest losses of horticulture and non-horticulture produce and providing remunerative price to farmers for their produce. The Government has launched the Central Sector Scheme for “Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs)” in the year 2020 to enable farmers to enhance their bargaining power, leverage economies of scale, reduce cost of production and enhance farmers’ incomes through aggregation of their agricultural produce. As on 31.10.2023, under the said scheme, 7476 FPOs have been registered out of which 117 belongs to the State of Punjab.

Various input support Schemes and Interventions thereunder in the State of Punjab

S. No.	Details of the Schemes	Interventions for Punjab
1	Per Drop More Crop - component of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY-PDMC) aims to increase water use efficiency through precision micro irrigation technologies.	Rs. 3.75 Crores released during the period from 2020-21 to 2022-23
2	Kisan Credit Card (KCC) – Modified Interest Subvention Scheme - provide short term agri loans to the farmers through KCC for their working capital requirements at concessional rate of interest.	As on 03.11.2023, 9,04,559 new KCC applications have been sanctioned.
3	Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) - aims at development of sustainable models of organic farming through a mix of traditional wisdom and modern science to ensure long term soil fertility buildup, resource conservation and helps in climate change adaptation and mitigation.	Rs. 18.04 Crores released during the period from 2020-21 to 2022-23
4	PM Kisan Samman Nidhi - implemented with a view to provide income support to all landholding Farmers' families across the country to enable them to take care of expenses related to agriculture and allied activities as well as domestic needs.	Rs. 4758.37 Crores has been disbursed to 23,43,543 beneficiaries in 15 installments since inception i.e. February 2019.
5	Soil Health Card Scheme - gives information on the soil's nutrient status as well as recommendations on the nutrient dosage to be used to improve its productivity and health.	Rs. 13.09 Crores has been released during the period from 2020-21 to 2022-23.
6	Sub-Mission on Seeds and Planting Material (SMSP) - covers the entire gamut of seed production chain, from production of nucleus seed to supply of certified seeds to the farmers etc.	Rs. 2.54 Crores has been released during the period from 2020-21 to 2022-23 under Seed Village Programme and creation of seed infrastructure facility.
7	Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) -aims at increasing the reach of farm mechanization to small and marginal farmers and to the regions where availability of farm power is low and promote 'Custom Hiring Centres' to offset the adverse economies of scale arising due to small landholding and high cost of individual ownership of machines.	Rs. 52.09 Crores and Rs. 48.50 Crores were released during 2016-17 and 2017-18 respectively. No funds were released from 2018-19 to 2022-23 as the State still have an unspent balance of Rs. 59.35 Crores.

8	Agriculture Infrastructure Fund (AIF) - provide medium - long term debt financing facility for investment in viable projects for post-harvest management infrastructure and community farming assets through interest subvention and credit guarantee support.	So far Rs. 2244 Crores have been sanctioned for 8021 projects.
9	Crop Residue Management Scheme - provide financial assistance on machines and equipments for effective in-situ and ex-situ management of crop residues.	Rs. 1531.45 Crores has been released during the period from 2018-19 to 2023-24 and the State has distributed more than 1.28 lakh crop residue management machines.
10	Provision of Neem Coated Urea - aims to increase the nutrient efficiency, crop yield, soil health and check the diversion of agricultural grade urea for non-agricultural activities.	2.94 million Tonne neem coated urea was supplied during 2022-23.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 64

08 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना

***64. श्री हरभजन सिंह:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की खरीद के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है अथवा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में, विशेषकर पंजाब में, कृषि उत्पादों की निवेश लागत को कम करने और उनके बाजार मूल्य में वृद्धि करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हों, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 08.12.2023 को उत्तरार्थ 'इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना' के संबंध में श्री हरभजन सिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 64 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम) स्कीम के तहत, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर किसानों को ट्रैक्टर सहित कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद और कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसी)/हाई टेक हब/फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्कीम के तहत वित्तीय सहायता का पैटर्न नीचे दिया गया है:

क्रमांक	घटक	वित्तीय सहायता	पात्र लाभार्थी
1	ट्रैक्टर सहित कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों, महिला किसानों और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए प्रयोज्य अधिकतम सीमा के साथ मशीन/उपकरण की लागत की 50%। अन्य किसानों के लिए मशीन/उपकरण की लागत की 40%।	व्यक्तिगत किसान।
2.	पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	1.25 लाख रुपये तक की लागतवाली मशीनों के लिए मशीन लागत की 100%।	पूर्वोत्तर राज्यों के व्यक्तिगत किसान।
3.	कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) और हाई-टेक हब की स्थापना।	परियोजना लागत की 40%। सीएचसी की परियोजना लागत प्रति परियोजना 60 लाख रुपये तक हो सकती है। और हाई-टेक हब के लिए प्रति परियोजना 250 लाख रुपये तक हो सकते हैं।	ग्रामीण उद्यमी (ग्रामीण युवा और उद्यमी के रूप में किसान), किसानों की सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और पंचायतें।

4.	कम यंत्रीकृत राज्यों के चिह्नित गांवों में फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना।	सामान्य राज्यों में 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 80% और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 95% भुगतान किया जाता है।	सहकारी समितियाँ, एफपीओ, एसएचजी और पंचायतें।
----	--	---	---

जहाँ तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का संबंध है, निर्माताओं द्वारा इनके विकास और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया चल रही हैं।

(ग) और (घ): फसलों की उपज में अंतर और सिंचाई, संसाधन बंदोबस्ती, कृषि यंत्रीकरण, भूमि जोत के आकार आदि के कारण उत्पादन की लागत अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) किसानों के लिए इनपुट लागत कम करने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत पंजाब राज्य को प्रदान की गई धनराशि सहित कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण **अनुबंध-1** पर है।

लागत पर लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत को अपनाया है। तदनुसार, सभी अधिदेशित खरीफ तथा रबी फसलों और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के रिटर्न के साथ बढ़ाया गया है। धान (सामान्य) के लिए एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति किंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2183 रुपये प्रति किंटल हो गया है और गेहूं के लिए एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति किंटल से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2125 रुपये प्रति किंटल हो गया है। पंजाब राज्य में उत्पादित लगभग सभी धान (सामान्य) और गेहूं की खरीद एमएसपी पर की जाती है। राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम (ई-नाम) बेहतर मूल्य सुनिश्चित करती है, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाती है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिल सके। संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत केंद्रीय एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर तिलहन, दलहन, कपास की खरीद की जाती है। किसानों द्वारा मजबूरन में बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए रियायती ब्याज दरों पर भंडारण और फसलोपरांत ऋण प्रदान किया जाता है। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की फसलोपरांत नुकसान को कम करने और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के घटक के रूप में

एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना के लिए स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार ने किसानों को अपनी व्यापारिक शक्ति बढ़ाने, किफायत का लाभ उठाने, उत्पादन की लागत कम करने और उनकी कृषि उपज के संग्रहण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्कीम शुरू की है। दिनांक 31.10.2023 तक, उक्त स्कीम के तहत 7476 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 117 पंजाब राज्य से संबंधित हैं।

पंजाब राज्य में विभिन्न इनपुट समर्थन स्कीमें और उनके तहत हस्तक्षेप

क्र. सं.	स्कीम का विवरण	पंजाब के लिए हस्तक्षेप
1	प्रति बूंद अधिक फसल - प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) का घटक, सटीक सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।	वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान 3.75 करोड़ रुपये जारी किए गए।
2	किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) - संशोधित ब्याज सहायता योजना - केसीसी के माध्यम से किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान करती है।	03.11.2023 तक 9,04,559 नए केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
3	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) - का लक्ष्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण के माध्यम से जैविक खेती के टिकाऊ मॉडल का विकास करना है ताकि दीर्घकालिक मृदा की उर्वरता धारण, संसाधन संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन में मदद मिल सके।	वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान 18.04 करोड़ रुपये जारी किए गए।
4	पीएम किसान सम्मान निधि - देश भर में सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों की देखभाल करने में सक्षम हो सकें।	फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत से 15 किस्तों में 23,43,543 लाभार्थियों को 4758.37 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
5	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना - मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी के साथ-साथ इसकी उत्पादकता और स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपयोग की जाने वाली पोषक तत्वों की खुराक पर सिफारिशें देती है।	वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान 13.09 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
6	बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) - बीज उत्पादन श्रृंखला के संपूर्ण दायरे को कवर करता है, जिसमें केंद्रक बीज के उत्पादन से लेकर किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति आदि शामिल	बीज ग्राम कार्यक्रम और बीज अवसंरचना सुविधा के निर्माण के तहत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान 2.54 करोड़ रुपये

	है।	जारी किए गए हैं।
7	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएम) - इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों तक कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाना है जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है और प्रतिकूल किफायत को दूर करने के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटर' छोटी जोत और मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत को बढ़ावा देना है।	वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमशः 52.09 करोड़ रुपये और 48.50 करोड़ रुपये जारी किए गए। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2022-23 के बीच कोई धनराशि जारी नहीं की गई है, क्योंकि राज्य के पास अभी भी 59.35 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये हैं।
8	कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) - ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करता है।	अब तक 8021 परियोजनाओं के लिए 2244 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं।
9	फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम - फसल अवशेषों के प्रभावी स्वस्थाने और अवस्थाने प्रबंधन के लिए मशीनों और उपकरणों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।	वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान 1531.45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और राज्य ने 1.28 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें वितरित की हैं।
10	नीम लेपित यूरिया का प्रावधान - इसका उद्देश्य पोषक तत्वों की दक्षता, फसल की उपज, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए कृषि ग्रेड यूरिया के उपयोग को रोकना है।	वर्ष 2022-23 के दौरान 2.94 मिलियन टन नीम लेपित यूरिया की आपूर्ति की गई।

DR. AMEE YAJNIK: Sir, I want to ask a question to the Minister that given the situation and the state of electrification in far off rural areas, which is still a challenge, what steps are being taken by the Ministry to see that the farmers at that far end get an uninterrupted power supply so that they can come out with their products and their produce? So, where is that data where they can say that there is rural electrification to the farmers? As the question involves electric tractors, I had to first ask this question in order to know that electric tractors would come later if there is...

MR. CHAIRMAN: What is your question?

DR. AMEE YAJNIK: Yes, Sir. So, where is the uninterrupted power that is required by the farmers?

श्री कैलाश चौधरी: सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने विद्युत की और किसानों से संबंधित बात की है। विद्युत, कृषि राज्य का विषय होता है। भारत सरकार की ओर से किसानों को नई से नई technology मिले, चाहे वह solar ऊर्जा के माध्यम से हो या battery के system से हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि इस question के अंदर भी tractor के विषय पर कहा गया है कि battery से ट्रैक्टर चले या उसकी permission का विषय है। मुझे इसमें यह जरूर कहना है कि हमारी सरकार का इस ओर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है कि किसानों को नई से नई तकनीक मिले और electricity के कम उपयोग से भी हम किसानों को सुविधाएं दे सकें। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से किसानों के लिए 'नमो ड्रोन दीदी' की योजना प्रारंभ की है। जिसमें गांव के अंदर हमारी बहनों के लिए drone technology कैसे पहुंचे और drone technology के माध्यम से आज हमारी 15 हजार बहनें drone के साथ अपने गांव के अंदर drone demonstration करेंगी। उनके लिए drone के अंदर 80 per cent subsidy का भी प्रावधान किया गया है। इसमें 1,260 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि उन्हें नई technology भी मिले और गांव के अंदर हम उन सारी समस्याओं का समाधान करें, किसानों को तकनीक उपलब्ध करवाएं, इसके ऊपर लगातार सरकार का प्रयास हो रहा है। जहां तक electricity की बात है, तो उसके लिए भी आपको पता होगा कि पहले गांव की क्या स्थिति थी और आज क्या है। आज 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' के अंदर हर गांव तक light पहुंचाने का काम किया है, जो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। वरना, पहले यह स्थिति थी कि गांवों के अंदर लाइट भी नहीं होती थी, बहुत कम गांवों के अंदर लाइट उपलब्ध होती थी। मैं यह कह सकता हूं कि गांव के अंदर ऊर्जा का संचार पहुंचे और नई तकनीक भी पहुंचे, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

DR. FAUZIA KHAN: Sir, considering the challenges in electrifying farm vehicles in India, particularly, the issues with charging infrastructure, durability, reliability along

with the diverse range of heavy duty machinery used in agriculture specially for family farms in developing regions and given the major farm vehicle manufacturers cater to global markets making international developments impactful on product offering, has the Ministry developed a strategy to promote the holistic development of electrification initiatives for tractors in the country?

श्री कैलाश चौधरी: सभापति जी, हम पहले जब दूसरे देशों में जाते थे, तो वहां पर किसानों के अत्याधुनिक यंत्र देखने को मिलते थे। चाहे drone हो, happy seeder हो या rotavator हो। हमारी सरकार ने आने के बाद ऐसे कई प्रयास किए, जिनके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि 2014 से पहले दस साल के अंदर इसके ऊपर 163 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर 6,415 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

मैं इसमें यह भी बताना चाहता हूं कि जो इक्विपमेंट्स थे, जो मशीनरी थी - मैं 10 साल का फिगर बता रहा हूं, 10 साल के अंदर 10 लाख मशीनों का वितरण सरकार के द्वारा हुआ था, लेकिन हमने इन नौ सालों के अंदर लगभग 35 लाख मशीनों का वितरण किया है, जो उससे चार गुणा अधिक है। इसके साथ ही 23,472 कस्टम हायरिंग सेंटर्स खोले गए हैं। इसी तरह से गांव के अंदर 405 हाई-टेक हब स्थापित किए हैं। ऐसे ही हमने 20 हजार से अधिक फार्म मशीनरी बैंक्स भी गांवों के अंदर पहुंचाए हैं। इसके लिए गांव के अंदर डेमोंस्ट्रेशन करके नए ट्रैक्टर्स हैं या जो दूसरे नए इक्विपमेंट्स हैं, वे किसान के गांव तक अत्याधुनिक तरीके से कैसे पहुंचे, इसके ऊपर लगातार प्रयास करके 70 हजार से अधिक डेमोंस्ट्रेशन भी किए गए हैं। मैं यह कह सकता हूं कि निश्चित रूप से सरकार की ओर से नई तकनीक गांव के अंदर पहुंचे, नए-नए उपकरण किसानों तक पहुंचें, इसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया है। उसी का यह पार्ट है, जो पहली बार देश के अंदर भारत सरकार ने drone technology को परमिशन दी है। पहले देश के अंदर इसकी परमिशन ही नहीं थी। किसान ड्रोन से पैस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स का छिड़काव कर ही नहीं सकता था, इसकी अनुमति ही नहीं थी। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ड्रोन की स्वीकृति हमारे देश के अंदर किसानों को दी गई। आज देश का किसान ड्रोन का उपयोग करेगा। जब कभी हम विदेश में जाते थे, तो यह वहां देखने को मिलता था और अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। निश्चित रूप से यह सरकार के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

श्री गुलाम अली: चेयरमैन सर, आपने हमें सप्लिमेंटरी क्वेश्चन पूछने का समय दिया इसके लिए आपका शुक्रिया। जम्मू-कश्मीर भी इस हाउस से बहुत कुछ चाहता है। जम्मू-कश्मीर में पहले अमन नहीं था, अब माननीय नरेन्द्र मोदी जी की रहनुमाई में वहां अमन आया है और अब आवाम के जो मसले हैं, वे कैलेंडर के बजाय खेत के हैं। जम्मू और कश्मीर का जो रोड है, वह अक्सर बंद रहता है, पर कश्मीर का जो सेब उगाने वाला है या जो बाकी अनाज उगाने वाले हैं - वैसे तो सरकार ने बहुत किया है जीआई टैग्स दिए हैं, राजमा को दिया है, बासमती को दिया है, कश्मीर के केसर को दिया है...

श्री सभापति: आपका प्रश्न क्या है?

श्री गुलाम अली: सर, मेरा क्वेश्चन यह है कि कश्मीर में फूट्स और अनाज की स्टोरेज के लिए क्या सरकार का कोई प्लान है कि स्टार्ट-अप, स्टैंड-अप के जरिए नौजवान स्टोरेज के लिए बड़े-बड़े गोदाम बनाएं, बड़े-बड़े डीप फ्रीजर बनाएं और क्या ऐसे कुछ बनाए गए हैं?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय सभापति जी, किसानों की जो भी समस्याएं हैं चाहे स्टोरेज की समस्या है या कोई अन्य प्रकार की समस्या है, तो उनके लिए भारत सरकार ने स्टोरेज के लिए Agriculture Infrastructure Fund का प्रावधान किया है। एमआईडीएच स्कीम के अंदर भी इसका प्रावधान है, जिसमें अगर वह गांव के अंदर या अन्य जगह पर cold storage बनाना चाहता है, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। अगर कोई किसान Agriculture Infrastructure Fund से cold storage, warehouse या sorting, grading की यूनिट भी गांव में लगाना चाहता है, तो उसमें दो करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ उसमें तीन परसेंट ब्याज की छूट का भी प्रावधान किया गया है। उसमें बिना किसी collateral के किसान को पैसा मिलता है, जिसमें उसके किसी प्रकार के डॉक्युमेंट को गिरवी नहीं रखना पड़ता है। इसके साथ ही उसके अंदर subsidy का भी प्रावधान है। एमआईडीएच की जो स्कीम है, जिसमें 40 परसेंट या 35 परसेंट की जो सब्सिडी है, अगर वह उससे लेना चाहता है, तो इसमें दोनों को क्लब भी किया गया है। वह उस स्कीम से सब्सिडी ले सकता है और Agriculture Infrastructure Fund से ऋण भी ले सकता है। यह दोनों को क्लब करके बनाया गया है। इसका पूरे देश के अंदर लाभ हो रहा है और निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर के अंदर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स sanctioned किए हैं, जिसमें केसर का भी एक बड़ा पार्क वहां पर लगा है। आपने सेब के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया, तो हमने किसानों के लिए पूरे देश के अंदर किसान रेल भी चलाई, ताकि हम उनको अधिक से अधिक लाभ दे सकें। सरकार द्वारा लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 65. Shri Prabhakar Reddy Vemireddy; not there. Any supplementaries?